न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 24/2008

प्रार्थी : –

श्री हीमाराम पुत्र श्री धुलाजी जाति घांची निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिह आढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत पंचायत समिति पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक 1083–85 दिनांक 13.09.2007 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत विधि विरूद्ध आदेश क्रमांक 1083–85 दिनांक 13.09.2007 पारित कर प्रार्थी को अतुल्यनीय क्षति पहुंचाई है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी का ग्राम रोहिडा में स्वतंत्र स्वामित्व व मालिकी का मकान है। प्रार्थी ने उक्त मकान को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद किया था। इस मकान के पश्चिम दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है जो करीब 3 फीट चौडी व 15 फीट ऊंची है, एवं प्रार्थी के मकान के दक्षिण दिशा में खुलती है। प्रार्थी के पडौसी श्री चिमनलाल ने अपने मकान के पूर्व दिशा में प्रार्थी की सीढ़ियों और दीवार को तोड़कर पूर्व दिश[illegible] [illegible]जा खोलने हेतु ग्राम पंचायत से अनुमती मांगी जिस पर प्रार्थी ने आपत्ति [illegible] एवं ग्राम पंचायत रोहिडा ने श्री चिमनलाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया। प्रार्थी [illegible] के बाद सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा के न्यायालय में [illegible] [illegible]र्शित होकर [illegible] दीवार व सीढियों को प्रार्थी के कब्[illegible] [illegible] प्रतिवादी का काउण्टर [illegible] खारिज किया। प्रार्थी ने अपनी जर्जर सीढ़ियों को पुनः [illegible]ने हेतु ग्राम पंचायत से [illegible] मांगी तब प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति ने दिनांक 24.08.2007 के प्रस्ताव संख्या दो में सिविल न्यायालय के निर्णय का गलत विवेचन निकालकर आदेश क्रमांक 1083–85 दिनांक 13.09.2007 में स्वीकृति नहीं दी, जो विधि विरूद्ध है। अतः श्रीमान से निवेदन है

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कि पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1083–85 दिनांक 13.09.2007 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया है कि पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा आदेश क्रमांक 1083–85 दिनांक 13.09.2007 को पारित करने में कोई त्रुटि नहीं है। अप्रार्थी ने न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही यह आदेश पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार करना फरमावें।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का ग्राम रोहिडा में स्वतंत्र स्वामित्व व मालिकी का मकान है। प्रार्थी ने उक्त मकान को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद किया था। इस कमान के पश्चिम दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है जो करीब 3 फीट चौडी व 15 फीट ऊंची है, एवं प्रार्थी के मकान के दक्षिण दिशा में खुलती है। प्रार्थी के पडौसी श्री चिमनलाल ने अपने मकान के पूर्व दिशा में प्रार्थी की सीढ़ियों और दीवार को तोड़कर पूर्व दिशा में दरवाजा खोलने हेतु ग्राम पंचायत से अनुमती मांगी जिस पर प्रार्थी ने आपत्ति दर्ज की एवं ग्राम पंचायत रोहिडा ने श्री चिमनलाल का प्रार्थना पत्र खारिज किया। प्रार्थी ने एक वाद सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा के न्यायालय में पेश किया जो निर्णित होकर प्रार्थी के हक में उक्त दीवार व सीढियों को प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व की मानी व प्रतिवादी का काउण्टर वाद खारिज किया। प्रार्थी ने अपनी जर्जर सीढ़ियों को पुनः बनाने हेतु ग्राम पंचायत से स्वीकृति मांगी तब प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति ने दिनांक 24.08.2007 के प्रस्ताव संख्या दो में सिविल न्यायालय के निर्णय का गलत विवेचन निकालकर आदेश क्रमांक 1083–85 दिनांक 13.09.2007 में स्वीकृति नहीं दी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि सिविल न्यायालय (क.ख.) पिण्डवाडा ने अपने निर्णय में सीढ़ियों को प्रार्थी की माना है, परन्तु इससे यह पता नहीं चलता है कि प्रार्थी के पास सीढ़ियों जिस भूखण्ड पर बनी हुई है उस भूखण्ड का प्रार्थी के पास पट्टा है अथवा नहीं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पंचायत समिति पिण्डवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अगर प्रार्थी के पास सीढ़ियां जिस भूखण्ड पर बनी हुई है उसका पट्टा प्रार्थी के पास है तो उन्हें निर्माण स्वीकृति जारी करें अन्यथा पंचायत समिति पिण्डवाडा अपने आदेश को निरस्त

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:10 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner